राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	291/2016	उम्मेद सिंह	राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय लालकोठ, जयपुर एवं अन्य
2.	292/2016	राम करण सिंह	
3.	293/2016	राजेश कुमार	
4.	294/2016	बद्री नारायण व्यास	

आदेश की दिनांक : 02.08.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री विश्वास सैनी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 291/2016 उम्मेद सिंह बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी ने हैड कॉस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसमें अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि चयन प्रकिया गलत अपनायी गई है। अपीलार्थी को योग्यात्मक परीक्षा के प्रथम चरण जो लिखित परीक्षा था, उसमें सफल घोषित किया गया। द्वितीय चरण व ऑउट डोर परीक्षा जो साक्षात्कार थी, उसमें अपीलार्थी सम्मिलित हुआ था, जिसमें अपीलार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था। अपीलार्थी को साक्षात्कार के आधार पर अनुत्तीर्ण घोषित किया जाना उचित नहीं है। चूंकि साक्षात्कार के नम्बर के आधार पर किसी को अनुत्तीर्ण किया जाना एक साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को समस्त अधिकार देता है, जिसके आधार पर वह योग्य व्यक्ति को भी साक्षात्कार के पश्चात गलत तरीके से अनुत्तीर्ण घोषित कर सकता है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी द्वारा निम्न प्रकार से प्रार्थना की गयी है :–

> "1. The selection made in pursuance to the advertisement of year 2011-12 ignoring the consideration for promotion of appellant may kindly be declared illegal and invalid, therefore the same may also kindly be quashed and set aside.

2. The Selection for the post of Head Constable, whereby weightage of interview given be declared illegal and direct the respondents to prepare a fresh select list given weightage of written examination, Outdoor activities, ACR and seniority, if appellant found place, he may be given promotion alongwith all consequential benefits.

3. The selection process for 2011-12 in pursuance of notice may kindly be set aside and further direct the respondents to initiate entire selection process a fresh.

4. Any other appropriate order or direction just deem fit may kindly be passed in favour of the appellant."

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी कानि. से हैड कानि. (सामान्य) पद की योग्यात्मक परीक्षा के प्रथम चरण में लिखित परीक्षा हेतु सम्मिलित हुआ था, जो उक्त लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया। पदोन्नति परीक्षा के द्वितीय चरण की आउट डोर परीक्षा/साक्षात्कार गठित बोर्ड द्वारा दिनांक 30.12.2015 को आयोजित की गयी, जिसमें अपीलार्थी भी सम्मिलित हुआ, परन्तु अपीलार्थी के लिखित परीक्षा, परेड एवं आउटडोर परीक्षा, रिकार्ड एवं साक्षात्कार को मिलाकर 50 प्रतिशत अंक नहीं होने के कारण अपीलार्थी को गठित बोर्ड द्वारा अनुर्तीण घोषित किया गया है। इसलिये अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं हो सकी। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन व आधारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है। गठित बोर्ड द्वारा चयन प्रक्रिया नियमानुसार अपनायी जाकर अपीलार्थी के लिखित परीक्षा, परेड एवं आउटडोर परीक्षा, रिकार्ड एवं साक्षात्कार को मिलाकर 50 प्रतिशत अंक नहीं होने के कारण इसे गठित बोर्ड द्वारा अनुर्तीण घोषित किये जाने एवं इससे कनिष्ठ अभ्यर्थी को सफल घोषित किये जाने के कारण ही चयन सूची में लिया गया है, जो नियमानुसार सही है।

4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. हमारे समक्ष अपीलार्थी यह स्पष्ट नहीं कर सका कि गठित बोर्ड द्वारा अपीलार्थी को साक्षात्कार में गलत तरीके से अनुत्तीर्ण किया गया हो। साक्षात्कार के आधार पर अंक दिया जाना विधि–विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी के लिखित परीक्षा, परेड एवं आउटडोर परीक्षा, रिकार्ड एवं साक्षात्कार को मिलाकर 50 प्रतिशत अंक नहीं होने के कारण असफल घोषित किया गया है, जिसमें कोई विधि–विरूद्धता होना हम नहीं पाते हैं।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थीगण की अपीलों में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः उपरोक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें खारिज की जाती हैं।
7. मूल आदेश अपील संख्या 291/2016 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपरोक्त वर्णित तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों में रखी जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)